फाइल नं0-71-3002(002)/2/2025-03

17/2025/I/875110/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण/2024-25/365, दिनांक 01.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका में उल्लिखित कार्यो (कॉलम-3 के अनुसार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (कॉलम-4 के अनुसार) तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-26-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित एकमुश्त धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1367.88 (रू0 तेरह करोड़ सड़सठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि (कॉलम-5 के अनुसार) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	कालेज का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	बहराइच	महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध महर्षि बालार्क चिकित्सालय (पूर्व जिला चिकित्सालय पुरूष/महिला के पुराने भवन में) छत की मरम्मत एवं रंगाई/पोताई/नवीनीकरण कार्य	493.94	493.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	बहराइच	महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच में ओवर हेड (पानी की टंकी) के रिनोवेशन /मरम्मत कार्य	43.76	43.76
3	बहराइच	महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध महर्षि बालार्क चिकित्सालय (पूर्व जिला चिकित्सालय पुरूष/महिला के पुराने भवन में) विद्युत कार्य/मरम्मत/नवीनीकरण कार्य	486.21	486.21
4	शाहजहॉपुर	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर में रेडियोलाजी विभाग के जीर्णोद्धार का कार्य	48.90	48.90
5	शाहजहॉपुर	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर में इमरजेंसी विभाग के जीर्णोद्धार का कार्य	295.07	295.07
			कुल योग-	1367.88

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्य एवं आडिट कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
4. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण इकाई/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजना का कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,67,88,000 (रुपये तेरह करोड़ सड़सठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 42100310526 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर स्थापित मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण **मानक मद** 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्याः-उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच तथा शाहजहॉपुर।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच तथा शाहजहॉपुर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषधिकारी, लखनऊ, बहराइच तथा शाहजहॉपुर।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।